[2021] 1 एस.सी.आर. 156

सुश्री एक्स

बनाम

स्टेट ऑफ़ झारखंड और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 1352/2019)

जनवरी 20, 2021

[अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और श्री शाह, जेजे]

महिलाओं के विरुद्ध अपराध:

बलात्कार पीड़िता - पुनर्वास- रिट याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 32 - पीड़िता द्वारा - पुनर्वास की मांग - आरोप है कि कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया जिसके लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई - उसके पास अपने तीन बच्चों के साथ जीने का कोई साधन नहीं है और वह अपने बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम नहीं है - मीडिया द्वारा उसकी पहचान बलात्कार पीड़िता के रूप में उजागर की गई है - प्रशासन, मीडिया और समाज के विरुद्ध यह आरोप है कि वे उसे बिना किसी सुरक्षा, नौकरी और आश्रय के जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं - अभिनिर्धारित: याचिकाकर्ता एक बलात्कार पीड़िता है और अत: सभी प्राधिकारियों द्वारा बलात्कार पीड़िता के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए - संबंधित राज्य में क्षतिपूर्ति देने के लिए धारा 357ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पहले से ही एक वैधानिक योजना लागू है और याचिकाकर्ता को योजना के तहत पहले ही क्षतिपूर्ति दिया जा चुका है - संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं तथा किसी भी केंद्रीय या राज्य योजना के तहत आवास आवंटन के लिए उसके मामले पर भी विचार करें - पुलिस को समय-समय पर उसे प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा की समीक्षा करने का निर्देश दिया जाता है - विधिक सेवा प्राधिकरण को उसे उचित समझी जाने वाली विधिक सेवाएँ प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है - झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना, 2012 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 357ए।

दंड संहिता, 1860:

धारा 228-ए-बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा - एक अपराध है - मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों) सहित सभी को कानून का पालन करना होगा।

याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित : 1.1 इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता बलात्कार पीड़िता है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत दाखिल अन्य आपराधिक मामलों पर विचार नहीं किया जाता है, फिर भी प्रकरण संख्या 162/2002 में, जहां दिनांक 08.06.2002 को बलात्कार का आरोप लगाया गया था, अभियुक्त को धारा 376 (2) (जी) भारतीय दंड संहिता के तहत 10 साल के श्रम कारावास के दंड से दोषसिद्धि किया गया है। याचिकाकर्ता एक बलात्कार पीड़िता है, इसलिए सभी प्राधिकारियों द्वारा उसे बलात्कार पीड़िता के रूप में ही माना जाना चाहिए। बलात्कार पीड़िता को न केवल मानसिक आघात सहना पड़ता है, बल्कि समाज से भेदभाव भी सहना पड़ता है। [पैरा 16 और 17][161-जी-एच; 162-ए-बी]

1.2 याचिकाकर्ता के दो बेटे और एक बेटी है। याचिकाकर्ता का सबसे बड़ा बेटा आज की तारीख में वयस्क है और याचिकाकर्ता के दो बच्चे अभी भी नाबालिग हैं। रांची के उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चों को 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रांची जिले के किसी भी सरकारी संस्थान में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए, जहां याचिकाकर्ता निवास कर रही है। [पैरा 19 और 27 (1)][162-एफ-जी; 165-डी-ई]

निपुण सक्सेना और अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य (2019) 2 **एससीसी 703: [2018] 14 एससीआर 755** - पर भरोसा किया गया।

2. दंड संहिता की धारा 228-ए, जिसे 1983 के संशोधन अधिनियम 43 द्वारा दिनांक 25.12.1983 से शामिल किया गया है, पीड़ित की पहचान का खुलासा करना अपराध बनाती है। धारा 228 ए के संबंध में सुस्थापित विधि है, दोनों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित सभी को कानून का पालन करना होगा। [पैरा 21 और 23][163-बी-सी; 164-ई-एफ]

3.1 बलात्कार पीड़िता के रूप में याचिकाकर्ता को प्रतिकर के भुगतान के संबंध में, अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ याचिकाकर्ता ने रिकॉर्ड पर सामग्री प्रस्तुत की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची द्वारा दिनांक 06.03.2017 के पत्र द्वारा 1,00,000 /- रुपये का प्रतिकर देने का निर्णय लिया गया था। झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना, 2012 के तहत प्रतिकर देने पर विचार किया गया है, जिसे 2016 में संशोधित किया गया है। [पैरा 24][164-एफ-जी]

3.2 झारखंड राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357ए के तहत विरचित पहले से ही एक वैधानिक योजना लागू है, जो प्रतिकर देने की प्रक्रिया प्रदान करती है। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त योजना के तहत प्रतिकर मांगने के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था और प्रतिकर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। [पैरा 25] बी [164-एच; 165-ए]

4. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों तथा अन्य योग्य व्यक्तियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य योजनाएं हैं। उपायुक्त, रांची प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा केन्द्र अथवा राज्य की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर सकते हैं। [पैरा 26][165-बी-डी]

5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रांची तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर याचिकाकर्ता को प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा की समीक्षा करेंगे तथा ऐसे उपाय करेंगे जो उपयुक्त तथा उचित समझे। [पैरा 27 (3)][165-एफ-जी]

6. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर याचिकाकर्ता को विधिक सेवाएं प्रदान करेगा, जैसा कि याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए उचित समझा जाए। [पैरा 27 (4)][165-जी]

संदर्भित निर्णयज विधि

[2018] 14 एससीआर 755 पर विश्वास किया गया पैरा 17

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 1352/2019

(अंतर्गत अनुच्छेद 32 भारत का संविधान)

तपेश कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, सुश्री भास्वती सिंह, अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादीगण।

याचिकाकर्ता- व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया।

अशोक भूषण, न्यायमूर्ति

1. यह रिट याचिका एक बलात्कार पीड़ित द्वारा दायर की गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है।

2. इस अदालत ने रिट याचिका पर विचार किया और दिनांक 29.11.2020 को नोटिस जारी करते समय निम्नलिरिवत आदेश पारित कियाः

''नोटिस जारी करें।

झारखंड राज्य के विद्वान स्थायी वकील श्री तपेश कुमार सिंह, प्रतिवादी/ राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा या उसके खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाही और उनकी वर्तमान स्थिति के विवरण सहित प्रतिवादी/ राज्य हलफनामा दायर करें।

हालांकि, हम देरवते हैं कि प्रतिवादी सं0-3/ गृह सचिव यह भी सुनिष्चित करेगंे कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।

चार सप्ताह के बाद लिस्ट करें।''

3. झारखंड राज्य की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा जवाब भी दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी दारिवल किए हैं।

4. पक्षों की दलीलों से निम्नलिरिवत तथ्य सामने आएः

याचिकाकर्ता झाररवण्ड राज्य में अनुसूचित जनजाति होने का दावा करती है। याचिकाकर्ता का जन्म 24.12.1984 को हुआ था। दिनांक 31.03.1998 को, याचिकाकर्ता को बसंत यादव अपने साथ ले गया था। याचिकाकर्ता के पिता राजेंद्र बड़ाइक ने इस संबंध में षिकायत दर्ज कराई। बसंत यादव दिनांक 02.04.1998 को गिरफ्तार किया गया। याचिकाकर्ता के पिता और संबंधित पुलिस स्टेशन की पुलिस ने याचिकाकर्ता की शादी बसंत यादव के साथ कराई। शादी के एक साल के बाद, एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम मनीष यादव ररवा गया। याचिकाकर्ता ने अपने पति बसंत यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के साथ-साथ भरण-पोषण का मामला भी दर्ज किया।

5. याचिकाकर्ता ने बसंत यादव से तलाक ले लिया और बेटे की कस्टडी बसंत यादव को दे दी गई। दिनांक 08.06.2002 को याचिकाकर्ता अपने बेटे से मिलने के लिए बसंत यादव के कहने पर डाल्टेनगंज गयी, जिस तारीरव को मोहम्मद अली और तीन अन्य आरोपी द्वारा उसका बलात्कार किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 धारा 3 (गप) के साथ पठित धारा 376/34 के तहत 2002 का मामला संरव्या- 162 दर्ज

किया गया था जिसमें आरोपी मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया।

6. याचिकाकर्ता ने उप पुलिस महानिरीक्षक, के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आईपीसी की धारा 376, 376(2)(ए) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 धारा 3(1)(गपप) के तहत 02.08.2005 को 2005 का मामला संरव्या-304 दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिरीक्षक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की, जिसपर सेशन ट्रायल संरव्या-257/2006 दर्ज किया गया था।

याचिकाकर्ता द्वारा कुछ अन्य आपराधिक मामले अलग-अलग व्यक्तियों के रिवलाफ दर्ज किया गया। इनमें से कुछ मामले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया था। 2006 के सेषन ट्रायल 11 में, मोहम्मद अली दिनांक 15.02.2014 को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

7. पुलिस उप महानिरीक्षक के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे अदालत ने 06.08.2007 को स्वीकार कर लिया था। जहां तक पुलिस महानिरीक्षक के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का संबंध है, सेशन जज ने पुलिस महानिरीक्षक को दिनांक 23.12.2017 के फैसले और आदेश से बरी कर दिया, जिसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की गई है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था।

8. रिट याचिका में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह बलात्कार पीड़ित होने के नाते, जिसकी पहचान मीडिया द्वारा बताई गई थी और यह जानने के बाद कि याचिकाकर्ता बलात्कार पीड़ित है, कोई भी उसे किराए पर भी आवास देने के लिए तैयार नहीं है। रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के पुनर्वास के मामले में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्याय के लिए शरण लिया। याचिकाकर्ता स्वयं एवं अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए प्रार्थना करती है। याचिकाकर्ता ने अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद राजेश कुजूर से शादी कर ली, जिससे एक बेटे का भी जन्म हुआ था। याचिकाकर्ता ने अपने पति राजेश कुजूर के रिवलाफ आपराधिक मामला संख्या -56/2004 भी दर्ज किया है, जिसमें वह बरी कर दिया गया है।

9. याचिकाकर्ता ने दिनांक 09.08.2019 के कानूनी नोटिस की एक प्रति भी दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता के मकान मालिक द्वारा किराए का भुगतान न करने के आधार पर याचिकाकर्ता से परिसर खाली करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 05.12.2019 को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि मकान मालिक ने दिनांक 04.12.2019 को घर को सील कर दिया था।

10. राज्य द्वारा जवाबी हलफनामे में, राज्य ने एक सारणीबद्ध चार्ट दिया है जिसमें 7 आपराधिक मामलों की स्थिति है जो याचिकाकर्ता द्वारा शुरू किए गए थे। पेराग्राफ 7 में चार्ट में उल्लिरिवत

मामलों मे से मोहम्मद अली के खिलाफ दर्ज किया गया मामला है। मोहम्मद अली को आईपीसी की धारा 376(2)(जी) और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार की रोकथाम) अधिनियम, 1989, का धारा 3 (1)(xii) दिनांक 15.02.2014 को दोषी ठहराया गया था अन्य आपराधिक मामलों में या तो आरोपियों का बरी कर दिया गया था या कुछ मामलों में मुकदमा लंबित है। याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई दो प्राथमिकियों में, वर्ष 2018 में धारा 354 ए(ii) और आईपीसी की धारा 376, 448 और 506 के तहत, बताया गया है, कि जॉच चल रही है।

11. याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से पेश हुई है। श्री तपेश कुमार सिंह, विद्वान वकील, झाररवण्ड राज्य की ओर से पेश हुए हैं।

12. याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के बलात्कार पीड़ित होने के कारण उसे परिवार, दोस्तों या समाज से कोई मदद नहीं मिल रही है। तीन बच्चों के साथ, उसके पास जीवनयापन को कोई साधन नहीं है और वह अपने बच्चों को षिक्षा देने में सक्षम नहीं है। प्रषासन, मीडिया और समाज ने याचिकाकर्ता को बिना किसी सुरक्षा, नौकरी और भविष्य में कोई आश्रय के जीवन जीने के लिए मजबूर किया है।

13. श्री तपेश कुमार, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न प्राथमिकियां दर्ज की हैं जिसमें कई व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत एक लिखित रिपोर्ट के आधार पर जिसमें आरोप पत्र भी दायर किया गया है, याचिकाकर्ता के रिवलाफ भी आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) ए के तहत अपराध करने के लिए 2002 के पलामू सदर पुलिस केस संरव्या-194 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। दिनांक 02.10.2019 से एक सषस्त्र महिला सिपाही, सुमन सूरी को रिट याचिकाकर्ता के साथ उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

14. राज्य ने याचिकाकर्ता की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान ररवा है और दिनांक 06.01.2020 के आदेश के अनुसरण में रिट याचिकाकर्ता के साथ एक अन्य सुरक्षाकर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया है। हालांकि विद्वान वकील का कहना है कि पुलिस अधिकारियों को उस संबंध में उचित उपाय करने के लिए समय-समय पर सुरक्षा की समीक्षा करने की अनुमति दी जा सकती है। श्री सिंह का कहना है कि याचिकाकर्ता को कई व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की आदत है। हाल ही में एक शिकायत दर्ज की गई है जिसमें आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने सुबोध ठाकुर के पहले के आवास को खाली कर दिया है।

15. हमने याचिकाकर्ता के साथ-साथ राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील को व्यक्तिगत रूप से सुना है।

16. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता बलात्कार पीड़ित है। यदि हम याचिकाकर्ता द्वारा आईपीसी की धारा 376 के तहत दायर अन्य आपराधिक मामलों को ध्यान में नहीं भी ररवते हैं तो वाद संरव्या-162/2002 में जिसमें दिनांक 08.06.2002 को बलात्कार का

आरोप लगाया गया था, आरोपी मोहम्मद अली को धारा 376 (2) के तहत दोषी ठहराते हुए, 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी गई है। बलात्कार पीड़ित होने के नाते याचिकाकर्ता सभी अधिकारियों द्वारा बलात्कार पीड़ित के रूप में व्यवहार पाने की हकदार है।

17. एक बलात्कार पीड़ित न केवल मानसिक प्रताड़ना झेलती है, बल्कि समाज में भी उसके साथ भेदभाव होता है। हम इस न्यायालय के निपुण सक्सेना और एक अन्य बनाम् भारत संघ और अन्य, (2019) 2 एससीसी 703 के मामले के निर्णय का उल्लेरव कर सकते हैं जिसमें इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गईः

"12. बलात्कार की पीड़ित को समाज में शत्रुतापूर्ण भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे पीड़ित को नौकरी पाना मुश्किल होगा, शादी करना मुश्किल होगा और एक सामान्य इंसान की तरह समाज में एकीकृत होना भी मुश्किल होगा।"

18. याचिकाकर्ता ने स्वयं झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (अप0) संरव्या- 2014 का 229 (पù / सुषमा बड़ाईक बनाम झाररवण्ड राज्य और अन्य) मामले में पारित कुछ आदेष का उल्लेरव किया है। दिनांक 12/11.09.2015 के आदेष में राज्य के वकील का यह बयान उच्च न्यायालय में दर्ज किया गया कि राज्य रिट याचिकाकर्ता के बच्चों को मुफ्त षिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/11.09.2015 को दर्ज किया गया बयान इस प्रकार हैः

"राज्य के वकील का कहना है कि राज्य रिट याचिकाकर्ता के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। अगर वह अपनी सहमति देगी, तो उसके बच्चों को गुमला में सरकारी बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कराया जाएगा और खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।"

19. याचिकाकर्ता के दो बेटे और एक बेटी है। ऐसा लगता है कि मनीष यादव का जन्म 1998 में हुए विवाह के एक साल बाद हुआ है। सबसे बड़ा बेटा, आज की तारीख में व्यस्क है, याचिकाकर्ता के दो बच्चे अभी भी नाबालिग हैं।

20. अदालत द्वारा पूछे जाने पर कि याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाना, किस अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपायुक्त, राँची यह सुनिश्चित करने के लिए, उचित उपाय कर सकते हैं। राज्य के लिए विद्वान वकील का कहना है कि झाररवण्ड राज्य में 14 वर्ष की आयु तक की षिक्षा मुफ्त है, जो राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि उपायुक्त यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे कि याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चों को रांची में किसी भी सरकारी संस्थान में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए।

21. याचिकाकर्ता ने मीडिया द्वारा अपनी पहचान का खुलासा किए जाने के संबंध में षिकायत की है। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका और अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ कुछ सामग्री संलग्न की है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 ए जिसे भारतीय दंड संहिता में 1983 के संशोधन अधिनियम 43 द्वारा 25.12.1983 के प्रभाव से शामिल किया गया है, के अनुसार पीड़ित की पहचान का खुलासा करना एक अपराध है। धारा 228-ए इस प्रकार हैः

''धारा 228ए एक कुछ अपराधों आदि के पीड़ित की पहचान का रवुलासा - (1) ''जो कोई भी नाम या किसी भी मामले को प्रिंट या प्रकाषित करता है जिसके फलस्वरूप किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की जा सकती है जिसके खिलाफ धारा 376, धारा 376ए, धारा 376बी, धारा 376सी या धारा 376डी के तहत आरोप लगाया गया है या किया गया है (इसके बाद इस धारा में पीड़ित के रूप में संदर्भित) के तहत अपराध का आरोप है या किया गया है। दो साल तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(2) उप-धारा (1) में ऐसी किसी मुद्रण या प्रकाशन जिसमें पीड़ित की पहचान होती है, पर रोक नहीं है, यदि मुद्रण या प्रकाशन इन परिस्थितियों में किया गया हैः

(क) पुलिस स्टेषन के प्रभारी अधिकारी या ऐसे अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा या उसके तहत, जो इस तरह की जांच के उदेश्यों के लिए सद्भावना से कार्य कर रहा है, द्वारा किया गया है या

(रव) पीड़ित के द्वारा या उसके लिखित प्राधिकरण के साथ किया गया है।

(ग) जहां पीड़ित मृत या नाबालिग है या अस्वस्थ दिमाग का है, या पीड़ित के निकटतम रिष्तेदार द्वारा या उनके लिखित रूप में प्राधिकरण के साथ किया गया है।

''बशर्ते कि पीड़ित के निकटतम रिष्तेदार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्थान या संगठन के अध्यक्ष या सचिव के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा।''

स्पष्टीकरण- इस उप-धारा के अंतर्गत ''मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्थान या संगठन'' का तात्पर्य केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याण संस्थान या संगठन से है।

(3) ''जो कोई भी ऐसे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में किसी मामले को प्रिंट या प्रकाषित करता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।''

स्पष्टीकरण- किसी उच्च न्यायाल या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के तात्पर्य के अंतर्गत अपराध नहीं है।

22. इस न्यायालय में निपुण सक्सेना एवं अन्य (सुप्रा) मामले में धारा 228ए पर विचार किया गया, जिसमें इस न्यायालय ने पैरा 50.1 में निम्नलिरिवत निर्देष जारी किए हैं:

"50.1" कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोषल मीडिया आदि में पीड़ित का नाम या यहां तक कि दूरस्थ तरीके से किसी भी तथ्य के खुलासा का मुद्रण या प्रकाषन नहीं कर सकता है। जिससे पीड़ित की पहचान की जा सकती है और जिससे उसकी पहचान जन सामान्य को प्राप्त हो सके।

23. धारा 228ए के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित सभी को इस कानून का पालन करना होगा।

24. बलात्कार पीड़ित के रूप में याचिकाकर्ता को मुआवजे के भुगतान के संबंध में, याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त दस्तावेजों के यह सबूत रिकार्ड पर लाया है कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रांची द्वारा के दिनांक 06.03.2017 के पत्र द्वारा रू0 1,00,000/- का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था। सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रांची का पत्र याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं रिकॉर्ड पर लाया गया है। झाररवण्ड पीड़ित मुआवजा योजना, 2012 जैसा कि 2016 में संषोधित किया गया था, के तहत मुआवजे के अनुदान पर विचार किया गया है।

25. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357ए के अंतर्गत झाररवण्ड राज्य में पहले से ही लागू एक वैधानिक योजना है, जिसके अंतर्गत मुआवजे के अनुदान की प्रक्रिया का प्रावधान है। याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त योजना के तहत मुआवजे की मांग करने के लिए पहले से ही आवेदन किया गया है और मुआवजे का भुगतान पहले से ही किया जा चुका है।

26. अगली षिकायत जिसका उल्लेरव याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है, वह है याचिकाकर्ता का बलात्कार पीड़ित होने के कारण रांची में किराए का कोई आवास प्राप्त करने में असमर्थता। राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कई/ अलग-अलग स्थानों पर रही है, लेकिन मकान मालिक के साथ विवाद के कारण उसे परिसर छोड़ना पड़ता है। गरीबी रेरवा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और अन्य पात्र व्यक्तियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं। उपायुक्त, रांची, प्रधानमंत्री आवास योजना या केंद्र या राज्य की किसी अन्य योजना के तहत किसी आवास के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर सकते हैं।

27. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में ररवते हुए, हम निम्नलिरिवत निर्देशों के साथ इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं:

(1) उपायुक्त, रांची को यह सुनिष्चित करने के लिए निर्देष दिया गया है कि याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक रांची जिले के किसी भी सरकारी संस्थान में मुफ्त षिक्षा प्रदान की जाए, जहां याचिकाकर्ता रह रही है।

(2) उपायुक्त, रांची प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना के तहत घर प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर भी विचार कर सकते हैं, जिसमें याचिकाकर्ता को आवास प्रदान किया जा सकता है।

(3) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रांची और अन्य सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर याचिकाकर्ता को प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और ऐसे उपाय करेंगे जो आवश्यक और उचित समझें।

(4) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रांची याचिकाकर्ता को कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा जो याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त मानी जा सकती हैं।

..... न्यायमूर्ति

(अषोक भूषण)

..... न्यायमूर्ति

(आर. सुभाष रेड्डी)

..... न्यायमूर्ति

(एम.आर. एसएचएएच)

नई दिल्ली, 20जनवरी, 2021.

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|